

संख्या/No. 3/8/2021- हि.शि.यो..(मध्योत्तर)/ 619

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS,

हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर क्षेत्र)

HINDI TEACHING SCHEME (North-Central Region)

फोन नं: 26191572 (फैक्स)

26175246

ई-मेल ddhts-nc-dol@nic.in

पूर्वी खंड-7 तल-6,

EAST BLOCK-7, LEVEL-6

रामकृष्णपुरम/R.K.PURAM,

नई दिल्ली /NEW DELHI-110066.

दिनांक /DATED 13/5/2022

सेवा में

संपर्क अधिकारी (हिंदी)

कार्यालय प्रमुख/प्रशासनिक अधिकारी/हिंदी अधिकारी(राजभाषा)

भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय/विभाग/राष्ट्रीयकृत बैंक/उपक्रम/निगम/निकाय आदि,
दिल्ली/नई दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार,
चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़।

विषय:- हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अधीन जुलाई-नवंबर, 2022 सत्र की ऑनलाइन/ ऑफलाइन हिंदी प्रबोध, प्रवीण प्राज्ञ एवं पारंगत दीर्घकालिक कक्षाओं का गठन एवं संचालन।

महोदय/महोदया,

भारत के राष्ट्रपति महोदय के 27 अप्रैल, 1960 के आदेशानुसार केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, सार्वजनिक निकायों, बैंकों इत्यादि के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण अनिवार्य है।

उक्त आदेश के अनुपालन में हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर क्षेत्र), नई दिल्ली द्वारा हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा पारंगत कक्षाओं के प्रशिक्षण का नया सत्र 01 जुलाई, 2022 से प्रारम्भ होगा। कृपया अपने कार्यालय से हिंदी प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों का विवरण इस पत्र के साथ संलग्न नामांकन प्रपत्र (अनुलग्नक-1) में भरकर दो प्रतियों में इस कार्यालय में 30 जून, 2022 तक अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

कोविड-19 तथा गृह मंत्रालय के समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जुलाई-नवंबर, 2022 सत्र की हिंदी कक्षाएं ऑनलाइन/ ऑफलाइन चलाई जाएंगी।

हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत पाठ्यक्रमों हेतु प्रशिक्षार्थियों के लिए पात्रता का निर्धारण निम्नलिखित विवरण के अनुसार किया जाए :-

...../2-

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

उद्देश्य	पाठ्यक्रम का नाम	पात्रता	अवधि एवं परीक्षा	प्रोत्साहन विवरण
यह पाठ्यक्रम भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में केंद्र सरकार तथा उसके उपक्रमों निगमों, निक्तियों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के उन अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए आयोजित किए जाते हैं, जिनके लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है।	प्रबोध	यह प्रशिक्षण प्रारंभिक स्तर का है। इसमें कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु, अंग्रेजी, मणिपुरी, मिजो, आधा-आधी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। वे सभी अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें प्राथमिक स्तर की हिंदी का ज्ञान नहीं है, प्रबोध प्रशिक्षण के पात्र हैं।	पाठ्यक्रम की अवधि 5 महीने की होगी। एकांतर दिवस 2 घंटे या प्रतिदिन सवा घंटा की कक्षाएं होंगी। (कक्षाएं 01 जुलाई, 2022 से शुरू होंगी। परीक्षाएं नवंबर, 2022 में आयोजित की जाएंगी।)	जो अधिकारी/कर्मचारी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वे कार्यालय जापन सं0 21034/66/2011/2010-रा.भा. (प्रशिक्षण)/दिनांक 29.07.2011 के अनुसार नकद पुरस्कार पाने के हकदार होंगे। इस पर होने वाला व्यय संबंधित विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
	प्रवीण	यह पाठ्यक्रम मध्यमिक स्तर का है। इसमें प्रबोध परीक्षा में उत्तीर्ण अधिकारी/कर्मचारी नामित होंगे। मराठी, सिंधी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, नेपाली, गुजराती, बंगला, असमिया और उड़िया भाषा आधी अधिकारी/कर्मचारी, जिन्हें मिडिल स्तर तक की हिंदी का ज्ञान नहीं है, इसमें सीधे प्रवेश ले सकते हैं।	-वही-	-वही-
	प्राज्ञ	इसमें प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण तथा अन्य हिंदीतर भाषा-आधी कार्मिकों जिनकी मातृभाषा पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी तथा पश्तो है और जिन्हें मेट्रिक स्तर की हिंदी का ज्ञान नहीं है, प्रशिक्षण हेतु पात्र हैं।	पाठ्यक्रम की अवधि 5 महीने की होगी। कक्षाएं एकांतर दिवस 1.30 घंटे या प्रतिदिन 45 मिनट की होंगी। (कक्षाएं 01 जुलाई, 2022 से शुरू होंगी परीक्षाएं नवंबर, 2022 में आयोजित की जाएंगी।)	-वही-
	पारंगत	केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संविधिक निक्तियों / उद्यमों/अभिकरणों / निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त सभी कार्मिक प्रशिक्षण हेतु पात्र हैं।	पाठ्यक्रम की अवधि 05 महीने की होगी। कक्षाएं एकांतर दिवस 02 घंटे या प्रतिदिन 01 घंटा की होंगी। (कक्षाएं 01 जुलाई से शुरू होंगी। परीक्षाएं नवंबर 2022 में आयोजित की जाएंगी।)	जो प्रशिक्षणार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वे कार्यालय जापन सं0 21034/69/2008/रा0भा(प्रशि0)/दिनांक 21.12.2020 के अनुसार नकद पुरस्कार पाने के हकदार होंगे। इस पर होने वाला व्यय संबंधित कार्यालय/विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

नोट:-

- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय में सचिवालयीन काम करने, टिप्पणियाँ लिखने या पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं होती (जैसे स्टाफ कार ड्राइवर, इंजन ड्राइवर, रिकार्ड सॉल्टर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, गेस्टेटनर ऑपरेटर, डाकिया, टेलीफोन ऑपरेटर आदि) उनके लिए केवल प्रबोध प्रशिक्षण अनिवार्य है।
- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को सामान्यतः स्वयं कोई सचिवालयीन कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु जिनके लिए हिंदी में पत्र व्यवहार तथा रिपोर्ट आदि का काम करने के लिए हिंदी का ज्ञान आवश्यक हो (जैसे, वैज्ञानिक, डॉक्टर, नर्स तथा प्रयोगशालाओं/वर्कशाप के पर्यवेक्षक आदि) उनके लिए प्रबोध व प्रवीण प्रशिक्षण अनिवार्य है।
- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को सचिवालयीन कार्य, टिप्पणी-लेखन तथा पत्र-व्यवहार करना पड़ता है, उनके लिए प्रबोध, प्रवीण व प्राज्ञ प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।
- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है वे पारंगत पाठ्यक्रम के लिए पात्र हैं।
- राजभाषा विभाग के कार्यालय जापन संख्या 14034/30/2009-रा.भा.-(प्र.) दिनांक 06 जनवरी, 2010 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ग "घ" के कर्मिकों को वर्ग "ग" में शामिल कर लिया गया है, इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी के अप्रैल, 1960 के आदेशानुसार वर्ग "ग" के कर्मिकों को हिंदी भाषा/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है। अतः वर्ग "घ" से वर्ग "ग" में आए उन कर्मिकों के लिए जो वर्ग "ग" श्रेणी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं उनको पात्रतानुसार हिंदी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ की कक्षाओं के लिए नामित करने का कष्ट करें ताकि उनको भी प्रशिक्षण दिया जा सके तथा निर्धारित परीक्षाएं पास करने पर सभी प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहन जैसे नकद पुरस्कार वैयक्तिक वेतन आदि का लाभ मिल सके।

1. प्रशिक्षार्थियों का पंजीकरण

- हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत के प्रशिक्षार्थियों का विवरण हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक द्वारा राजभाषा विभाग की ओर से विकसित करवाई गई प्रशिक्षण प्रणाली में भरा जाएगा। इसलिए सभी प्रशिक्षार्थियों का विवरण निर्धारित प्रपत्र में भिजवाएं जिससे उनका विवरण सही-सही भरा जा सके।

2. परीक्षा संबंधी सूचना

- इन पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं नवंबर, 2022 में आयोजित की जाएंगी।
- नियमित व प्राइवेट परीक्षा के लिए प्रशिक्षार्थी का विवरण निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक -II) में दिनांक 30.06.2022 तक हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर क्षेत्र), नई दिल्ली के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए।

3. परीक्षा शुल्क एवं भुगतान का प्रकार

- केंद्रीय सरकार के कर्मिकों के लिए परीक्षा शुल्क देय नहीं है।
- भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के कर्मिकों के लिए रु.100/- प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क देय है।
- पारंगत पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण के लिए केंद्र सरकार अथवा अन्य किसी भी कर्मिक के लिए परीक्षा शुल्क देय नहीं है।

- परीक्षा शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट द्वारा उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के नाम देय होगा।
 - परीक्षा शुल्क 'भारतीय स्टेट बैंक' की website - www.onlinesbi.com पर ऑनलाइन भी जमा करवाया जा सकता है। ऑन लाइन द्वारा भुगतान की गई राशि की पावती रसीद उप निदेशक (परीक्षा) को भेजना अनिवार्य है।
4. **पाठ्यपुस्तकें**
- सभी प्रशिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तकें हिंदी शिक्षण योजना द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।
5. **वित्तीय प्रोत्साहन**
- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने और हिंदी शिक्षण योजना द्वारा निर्धारित अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 12 महीनों की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है।
 - प्रशिक्षण कक्षा में जाने के लिए नियमानुसार 1.6 कि.मी. से अधिक दूरी से आने-जाने का वास्तविक मार्ग व्यय देय है, जो उनके विभाग द्वारा दिया जाएगा।
 - हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत की परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जिनका भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है।

क्रमांक	पाठ्यक्रम	अंकों के आधार पर नकद पुरस्कार का विवरण		
		55% से 59%	60% से 69%	70%या उससे अधिक अंक
1.	प्रबोध	रु.400	रु. 800	रु.1600
2.	प्रवीण	रु.600	रु.1200	रु.1800
3.	प्राज्ञ	रु.800	रु.1600	रु.2400
4.	पारंगत	रु.4000	रु.7000	रु.10000

- प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ परीक्षाओं के नकद पुरस्कार के संबंध में अधिक जानकारी हेतु राजभाषा विभाग का का0जा0 सं0-21034/66/2010रा0भा0 (प्रशि0) दिनांक 29 जुलाई, 2011 देखें तथा पारंगत परीक्षा के नकद पुरस्कार के संबंध में अधिक जानकारी हेतु राजभाषा विभाग का का0जा0 सं0-21034/69/2008-रा0भा0 (प्रशि0) दिनांक 21 दिसंबर 2020 देखें।

6. कक्षाओं में उपस्थिति

- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 19.02.1976 के कार्यालय जापन संख्या-12014/1/74-हिंदी/1/ तथा दिनांक 11 मार्च, 1985 के कार्यालय जापन संख्या-12044/1/74-रा.भा.(घ) के अनुसार हिंदी कक्षाओं के लिए नामित अधिकारियों / कर्मचारियों का नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होना तथा सत्र के अंत में परीक्षा में बैठना अनिवार्य है।
- कक्षा में उपस्थिति, लेखन तथा वाचन के आधार पर हर माह आंतरिक मूल्यांकन के अंक प्रशिक्षण केंद्र के हिंदी प्राध्यापक/प्रभारी द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें उत्तीर्ण होने पर ही प्रशिक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है, अन्यथा नहीं।

7. नया केंद्र खोलने के संबंध में

- यदि कोई कार्यालय अपने कार्यालय परिसर में हिंदी प्रशिक्षण केंद्र खोलने का इच्छुक है तो वह हर कक्षा के लिए कम से कम 10 से 15 प्रशिक्षार्थियों को नामित करना सुनिश्चित करे। इसके लिए उचित प्रस्ताव इस कार्यालय में दिनांक 15.06.2022 तक भेजने का कष्ट करें ताकि समय रहते नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

8. विशेष

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि वे भाषा प्रशिक्षण के लिए अपने कार्यालय के शेष कर्मियों को नामित करने का कष्ट करें। जिससे राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को सन् 2025 तक प्राप्त किया जा सके। राजभाषा प्रशिक्षण के इस महत्वपूर्ण कार्य में आपका सक्रिय सहयोग सराहनीय होगा।
- यह भी सुनिश्चित करें कि सभी नामित प्रशिक्षार्थी, कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें तथा परीक्षाओं के फार्म भरने के साथ-साथ परीक्षा में अवश्य बैठें।
- सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि से अनुरोध है कि वे कक्षाओं के गठन का यह पत्र अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में भी परिचालित करवाना सुनिश्चित करें।
- सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि से अनुरोध है कि हिंदी प्रशिक्षण से संबंधित छमाही रिपोर्ट (अनुलग्नक-III) समय पर भरकर इस कार्यालय को भिजवाएं।

**उपनिदेशक(मध्योत्तर क्षेत्र) कार्यालय के अंतर्गत संभावित हिंदी प्रशिक्षण केंद्रों का नाम और पता
(सत्र जुलाई-नवंबर, 2022)**

क्र.सं.	प्रशिक्षण केंद्र	दूरभाष संख्या
1.	सम्मेलन कक्ष हिंदी शिक्षण योजना, (मध्योत्तर क्षेत्र) आर के पुरम, नई दिल्ली-66	011- 26175246
2.	सीमा सड़क महाजिदेशालय, नारायणा, रिंग रोड, नई दिल्ली	011-25687114
3.	संच लोक सेवा आयोग, जामनगर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली	011-23098591/4558
4.	तिहाड़ जेल परिसर, तिहाड़ जेल, लाजवन्ती गार्डन, नई दिल्ली	011-25615203
5.	वायुसेना स्टेशन, तुगलकाबाद, नई दिल्ली	
6.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली	011-23456396
7.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा कैंपस, नई दिल्ली।	
8.	भारतीय खेल प्राधिकरण, ज0ला0ने0स्टेडियम, नई दिल्ली ।	
9.	केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय), सेक्टर-13, आर0के0पुरम, नई दिल्ली	
10.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण , जी-5 व 6 द्वारका, सेक्टर-10, नई दिल्ली-110075.	
11.	भविष्य निधि संगठन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066.	
12.	राष्ट्रीय आवास बैंक, कोर-5ए, तीसरा तल, इंडिया हेबिटेड सेंटर, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003.	
13.	केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, सीएआरई, रोड नम्बर-66, पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026.	
14.	सर्वकार्यभारी अधिकारी, हिंदी शिक्षण योजना, सी.आई.एस.एफ., आर.टी.सी., देवली	
15.	सर्वकार्यभारी अधिकारी, हिंदी शिक्षण योजना, महालेखाकार(लेखा व हक), राजस्थान स्टेच्यू सर्कल, जनपथ, जयपुर-302005.	
16.	सर्वकार्यभारी अधिकारी, हिंदी शिक्षण योजना, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, दक्षिण मार्ग, सेक्टर-32ए, चंडीगढ़-160060 (यू.टी.)	
17.	सर्वकार्यभारी अधिकारी, हिंदी शिक्षण योजना, सेक्टर-6, बाबलियाना रोड, दुर्गा मंदिर के पास, जम्मू -180010.	

संपर्क सूत्र

कार्यालय का पूरा पता : हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर क्षेत्र) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय पूर्वी खंड-7, लेवल-6, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066 ई.मेल-ddhts-nc-dol@nic.		
डॉ० शोभा रानी संयुक्त निदेशक मो०- 9811199782 ई.मेल-ghti1110@nic.		श्री जितेन्द्र कुमार सिंह उप निदेशक मो. 9560213089 ई.मेल-ghti1148@nic.in
हिंदी प्राध्यापक का नाम	मोबाइल नम्बर	ई.मेल
1. डॉ० पी०वीराधिका (नई दिल्ली)	9444622262	ghti1185@nic.in
2. श्रीमती नीपा शर्मा (नई दिल्ली)	9899989821	ghti1227@nic.in
3. श्री आशाराम (नई दिल्ली)	9213107791	ghti1256@nic.in
4. श्री राजकुमार बाल्मिकी (नई दिल्ली)	9971953257	ghti1260@nic.in
5. श्रीमती सीमा रानी (नई दिल्ली)	9990197892	ghti1267@nic.in
6. श्रीमती शोभा कुजूर (नई दिल्ली)	9840349234	ghti1270@nic.in
7. श्रीमती सुनीता यादव (नई दिल्ली)	9654009808	Chti1284-dol@gov.in
8. श्री राजेश कुमार मीना(जयपुर)	9460474143	ghti1277@nic.in
9. श्री महेश चंद्र मीना (देवली,राज०)	9508155071	maheshgudli007@gmail.com
10. श्री कमलजीत (जम्मू)	6005284842	ghti1253@nic.in
11. श्रीमती उर्मिला सेनी (चंडीगढ़)	8279230752	drurmilasaini21@gmail.com

सभी विभागाध्यक्षों/संपर्क अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने कार्यालय का पूरा पता पिन कोड सहित भेजें साथ ही अपने कार्यालय का दूरभाष/ फैक्स नंबर एवं ई मेल का पता भी भेजें जिससे पत्राचार में सुविधा होगी।

अधिक जानकारी हेतु कृपया राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.raibhasha.gov.in को देखने का कष्ट करें।

भवदीया,

(डॉ० शोभा रानी)
संयुक्त निदेशक

पृष्ठांकन सं. 3/8/2021- हि.शि.यो..(मध्योत्तर)/

दिनांक :

प्रतिलिपि :-

1. प्रभारी निदेशक/संयुक्त निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वाँ तल पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली।
2. संयुक्त निदेशक (टंकण/ आशुलिपि), 2- ए पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली।
3. उप निदेशक (टंकण/ आशुलिपि) आर. के. पुरम, नई दिल्ली।
4. उप निदेशक, अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 2-ए पृथ्वीराज रोड नई दिल्ली-11
5. सहायक निदेशक (टंकण/आशु0), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वाँ तल पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
6. प्रभारी सहायक निदेशक, भाषा पत्राचार स्कंध, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 2-ए पृथ्वीराज रोड नई दिल्ली-11
7. सर्वकार्यभारी अधिकारी, जम्मू, चण्डीगढ़, जयपुर तथा देवली (राजस्थान)।

भवदीया,

(डॉ० शोभा रानी)
संयुक्त निदेशक

नामन प्रपत्र

क्र.सं.	नामित अधिकारी / कर्मचारियों का नाम	पदनाम	मातृभाषा	पाठ्यक्रम जिसके लिए नामित है	सुविधाजनक प्रशिक्षण केंद्र	कार्यालय का पता व फोन नंबर	कर्मचारियों की कुल संख्या

स्थान:

दिनांक :

हस्ताक्षर

नामित करने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम.....

कार्यालय का पूरा पता टेलीफोन नम्बर व ई मेल सहित.....

(कार्यालय की मोहर)

उप निदेशक का कार्यालय (मध्योत्तर)

हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली

प्रशिक्षार्थी विवरण का प्रपत्र

प्रशिक्षण केंद्र का नाम:

प्रशिक्षण सत्र :

कक्षा का नाम : (प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ/पारंगत)

प्रशिक्षार्थी का नाम (हिंदी में):	Name of candidate (BLOCK LETTERS)
लिंग (स्त्री/पुरुष/ अन्य)	Gender (M /F/ other)
पिता/पति का नाम (हिंदी में):	Father's/ Husband name:
प्रशिक्षार्थी का पदनाम (हिंदी में):	Designation:
मातृभाषा:	Mother tongue:
हिंदी भाषा में ज्ञान का स्तर:	Knowledge of Hindi:
मंत्रालय (हिंदी में):	Name of Ministry:
विभाग का नाम (हिंदी में):	Name of Department:
नामित करने वाले अधिकारी का नाम तथा पदनाम :	Name & Designation of the Nominating officer:
कार्यालय का पूरा पता (हिंदी में): ईमेल/दूरभाष सहित	Full office address With E.mail Id/ phone:
परीक्षा शुल्क भरने का बैंक विवरण । Bank details of Examination Fees:	
दूरभाष: Phone/mobile	
ई-मेलआईडी00: E.mail Id of the candidate	

नोट: कृपया प्रपत्र को द्विभाषिक रूप में भरें ।

दिनांक :

प्रशिक्षार्थी के हस्ताक्षर

हिंदी शिक्षण योजना से संबंधित अर्धवार्षिक रिपोर्ट
मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/निगम/बैंक/उपक्रम आदि का नाम तथा पूरा पता (पिन कोड सहित)

		1	2	3	4	5
		प्रशासनिक अधिकारी		प्रचालन अधिकारी		योग
		राजपत्रित	अराजपत्रित	राजपत्रित	अराजपत्रित	
1.	कुल अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या					
2.	मद सं0 1 में से हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ, पारंगत तथा हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण की अनिवार्यता से छूट प्राप्त कर्मचारियों की संख्या					
3.	मद सं0 1 में से	जिनके लिए प्रबोध अंतिम परीक्षा थी।				
		जिनके लिए प्रवीण अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए प्राज्ञ अंतिम परीक्षा थी।				
		जिनके लिए पारंगत अंतिम परीक्षा थी।				
		जिनके लिए टंकण अंतिम परीक्षा थी।				
		जिनके लिए आशुलिपि अंतिम परीक्षा थी।				
4.	मद सं0 1 में से सामने दर्शाए गए पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कर्मचारियों की संख्या	जिनके लिए प्रबोध अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए प्रवीण अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए प्राज्ञ अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए पारंगत अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए टंकण अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए आशुलिपि अंतिम परीक्षा है।				

5.	मद सं0 1 में से सामने दर्शाए गए पाठ्यक्रमों के लिए शेष कर्मचारियों की संख्या	जिनके लिए प्रबोध अंतिम परीक्षा है।					
		जिनके लिए प्रवीण अंतिम परीक्षा है।					
		जिनके लिए प्राज्ञ अंतिम परीक्षा है।					
		जिनके लिए पारंगत अंतिम परीक्षा है।					
		जिनके लिए टंकण अंतिम परीक्षा है।					
		जिनके लिए आशुलिपि अंतिम परीक्षा है।					
6.	वर्ग 'घ' से वर्ग 'ग' में आए कर्मचारियों की संख्या	जिनके लिए भाषा प्रशिक्षण दिया जाना है।					
7.		जिनके लिए टंकण प्रशिक्षण दिया जाना है।					

कार्यालय अध्यक्ष का नाम.....
दूरभाष संख्या.....
ई-मेल

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

मोहर सहित
दूरभाष संख्या